न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

1– अपील डिक्री/टीए./2006/1090/उदयपुर

2– अपील डिक्री/टीए./2006/1091/उदयपुर

1– श्रीमती चुन्नीबाई पुत्री चम्पासिंह, खरवड (राजपूत) निवासी गायरियावास, पटवार मण्डल काछवा, तह. गोगून्दा, जिला उदयपुर।
2– श्रीमती सोहनी बाई पुत्री चम्पासिंह, खरवड (राजपूत) निवासी गायरियावास, पटवार मण्डल काछवा, तह. गोगून्दा, जिला उदयपुर।
3– श्रीमती नकारीबाई पुत्री चम्पासिंह, खरवड (राजपूत) निवासी गायरियावास, पटवार मण्डल काछवा, तह. गोगून्दा, जिला उदयपुर।

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1– श्री अम्बावसिंह पिता भग्गाजी खरबड (राजपूत) निवासी गायरियावास, पटवार मण्डल काछवा, तह. गोगून्दा, जिला उदयपुर।
2– श्री प्रताप सिंह नानसिंह जी खरबड (राजपूत) निवासी गायरियावास, पटवार मण्डल काछवा, तह. गोगून्दा, जिला उदयपुर।
3– श्रीमती लीलाबाई (मृतक) पुत्री नानसिंह जी खरबड (राजपूत) निवासी गायरियावास, पटवार मण्डल काछवा, तह. गोगून्दा, जिला उदयपुर
जरिये कायम मुकाम :–
3/1– जीवनसिंह (माता लीलाबाई) पिता आसूसिंह, खरबड (राजपूत) निवासी मुकाम पोस्ट मोडी, तह. गोगून्दा, जिला उदयपुर।
3/2– श्रीमती बेनकी (माता लीलाबाई) पिता आसूसिंह, खरबड (राजपूत) निवासी मुकाम पोस्ट मोडी, तह. गोगून्दा, जिला उदयपुर।
3/3– आसुसिंह पति लीलाबाई खरबड (राजपूत) निवासी मुकाम पोस्ट मोडी, तह. गोगून्दा, जिला उदयपुर।
4– श्री तहसीलदार गोगुन्दा जिला उदयपुर।

...रेस्पोन्डेन्ट्स

खण्ड–पीठ
श्री सी.आर. मीणा, सदस्य
श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य

1– अपील डिक्री/टीए./2006/1090/उदयपुर

2– अपील डिक्री/टीए./2006/1091/उदयपुर

फेफाबाई (मृतक) जरिये वारिसान :– बनाम अम्बावसिंह

उपस्थित :–

श्री सम्पतलाल बोहरा, अभिभाषक अपीलान्टस
श्री अजीत लोढा, अभिभाषक रेस्पो.

दिनांक : 21 दिसम्बर, 2021

निर्णय

1– उपर्युक्त दोनों अपील अन्तर्गत धारा–223 एवं 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 22–10–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– इन दोनों अपीलों के तथ्य एवं कानूनी बिन्दु एक समान होने के कारण इनकी बहस एक साथ सुनी गयी तथा इनका निस्तारण भी एक ही निर्णय द्वारा किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में संलग्न की जावे।

3– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्टस ने एक दावा बाबत घोषणा, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा का उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा के समक्ष पेश किया था व बताया कि मूल पुरूष वजेसिंह था व विवादग्रस्त जमींन वजेसिंह से भगासिंह के पास आई। भगासिंह से नाहरसिंह, चम्पासिह व अम्बावसिंह के पास आई। चम्पासिंह का स्वर्गवास हो चुका है एवं दौराने कार्यवाही भगासिंह का भी स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिसान रिकार्ड पर है, अपीलान्ट मृतक चम्पासिंह की पत्नी व लडकियां है तथा इन्होंने घोषणा का दावा किया कि भगासिंह के पास जो मौरूसी जायदाद है उनमें तीनों लडकों का 1/3, 1/3 भाग है तथा एक लडके के बजाय वादीगण / अपीलान्टस 1/3 हिस्से के मालिक व काबिज है। इस कारण उन्हें विवादग्रस्त जमींन का खातेदार काश्तकार घोषित कराया जाये तथा इसका बंटवारा 1/3, 1/3 हिस्सा अलग किया जावे व अलग अलग खाते की जावे। विद्वान उप खण्ड अधिकारी, गिर्वा द्वारा दावा डिक्री कर दिया गया व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 9–11–1998 को पारित की गई तथा प्रारम्भिक डिक्री की पालना होकर मौके पर बंटवारा कर खाते अलग अलग कर दिये गये व अन्तिम डिक्री दिनांक 30–8–2000 जारी की गयी। रेस्पो. नानसिंह, अम्बावसिंह व भगासिंह ने कथित आदेश के विरूद्ध अपील विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के यहां पेश की, जिन्होंने अपने

निर्णय दिनांक 22–10–2003 द्वारा दोनों ही अपीलें स्वीकार कर ली। उक्त निर्णय दिनांक 22–10–2003 से व्यथित होकर यह दोनों अपीलें इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

4– बहस उभय सुनी गयी।

5– अपीलान्टस के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री न्याय व विधि के विपरीत होकर काबिल निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अन्तिम डिक्री में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहते हुये भी व अन्तिम डिक्री नियमानुसार पारित होते हुये भी अधीनस्थ न्यायालय को प्रारम्भिक डिक्री के साथ साथ अन्तिम डिक्री का भी निर्णय किया, वह बिल्कुल गलत होकर काबिल निरस्त योग्य है। कथित जमींन अपीलान्टस के नाम पर अलग अलग दर्ज हो चुकी है, मौके पर उसी अनुसार कब्जा काश्त हो रहा है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कथित डिक्री को निरस्त करने का आदेश दिया, वह बिल्कुल गलत होकर काबिल निरस्त योग्य है। प्रारम्भिक डिक्री के बाद स्वयं कमिश्नर के रूप में तहीलदार साहब मौके पर आये थे व उन्होंने मौके पर बंटवारा कर रिपोर्ट की थी, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, फिर भी प्रारम्भिक डिक्री निरस्त की। उस आधार पर अन्तिम डिक्री भी निरस्त करने का जो आदेश दिया वह बिल्कुल गलत होकर काबिल निरस्त योग्य है। कानूनन भगा के जीते जी भी घोषणा व बंटवारा तथा स्थायी निषेधाज्ञा का वाद आ सकता है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात को ध्यान में रखे बिना डिक्री व निर्णय निरस्त करने का आदेश दिया, वह बिल्कुल गलत होकर काबिल निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित डिक्री व निर्णय निरस्त फरमाया जाकर उप जिला कलेक्टर, गिर्वा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30–8–2000 बहाल रखवायी जाने का आदेश प्रदान करवाया जावे।

6– प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने बहस का जवाब देते हुये कथन किया कि न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर का निर्णय दिनांक 22–10–2003 पूर्णतः विधिसम्मत, न्यायसंगत व तर्कसंगत है। जिस दिन वाद प्रस्तुत किया था उस दिन प्रत्यर्थी संख्या–1 के पिता भगासिंह पुत्र वजेसिंह जिन्दा थे और उनकी मौजूदगी में उनके पुत्र चम्पासिंह के वारिसान जो कि चम्पासिंह की विधवा स्त्री व उसकी पुत्रियां हैं, खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। विवादित भूमि भगासिंह की खातेदारी की भूमि है। वादीगण / अपीलार्थीगण ने ऐसा

एक भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह साबित होता हो कि विवादित भूमि भगासिंह की मौरूसी जमींन है। इसलिये परीक्षण न्यायालय ने प्रारम्भिक व अन्तिम डिक्री गलत पारित की थी जिसे न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर ने अपास्त कर सही निर्णय पारित किया है। इस अपील में कोई सारवान तथ्य नहीं होने के कारण यह अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

7– हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया गया।

8– पत्रावली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि जमाबन्दी संवत 2056 से 2059 के अनुसार विवदित भूमि वाके ग्राम काछवा तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर किता 41 रकबा 3.92 हैक्टेयर भगासिंह पुत्र वजासिंह खरबड साकिन गाडरियावास खातेदार दर्ज है। उक्त जमाबन्दी से यह स्पष्ट होता है कि यह भूमि प्रतिवादी संख्या–1 एवं प्रत्यर्थी संख्या–1 के पिता भगासिंह की भूमि थी। वादीगण / अपीलार्थीगण अपने दावे में यह कहकर आये हैं कि विवादित भूमि मौरूसी थी। जिसका उन्होंने कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है इसलिये दस्तावेजों के अभाव में यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि विवादित भूमि भगासिंह की मौरूसी भूमि थी। जिस दिन वाद प्रस्तुत हुआ था और प्राथमिक तथा अन्तिम डिक्री हुआ था, तब तक भगासिंह जीवित था। न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर में प्रथम अपील भी भगासिंह ने ही प्रस्तुत की थी ऐसी अवस्था में जबकि एक खातेदार जीवित हो तब उसके विरूद्ध भगासिंह के मृतक पुत्र चम्पासिंह की विधवा स्त्री एवं पुत्रियों के द्वारा वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। इसलिये परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 9–11–1998 एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 30–8–2000 दोनों ही निरस्त किये जाने योग्य है।

9– अधीनस्थ न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 22–10–2003 में समस्त तथ्यों एवं विधि के प्रावधानों का विस्तृत विश्लेषण करते हुये निर्णय पारित किया है जिसमें कोई त्रुटि नजर नहीं आती है। इसलिये यह अपील सारहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

10– अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह अपील निरस्त की जाती है तथा न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,

1– अपील डिक्री/टीए./2006/1090/उदयपुर

2– अपील डिक्री/टीए./2006/1091/उदयपुर

फेफाबाई (मृतक) जरिये वारिसान :– बनाम अम्बावसिंह

उदयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22–10–2003 यथावात रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि शंकर गोयल)
सदस्य

(सी.आर. मीणा)
सदस्य